तत्काल
अत्यावश्यक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : jdmpsamb@gmail.com Tel: 0755-4270561

क्रमांक/बी–5/2/अनुज्ञा–मॉडयूल/2014–15/926 भोपाल दिनांक 04 सितम्बर 2015

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

विषयः–प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल का सुचारु संचालन सुनिश्चित कराने संबंधी।

संदर्भः–01. कार्या. पत्र क्रमांक/बी–5/2/अनुज्ञा–मॉडयूल/2014–15/305 दिनांक 05 अगस्त 2015, पत्र क्रमांक 309 दिनांक 07 अगस्त 2015, पत्र क्रमांक 314 दिनांक 13 अगस्त 2015 एवं पत्र क्रमांक 316 दिनांक 13 अगस्त 2015।

02. दिनांक 17 अगस्त 2015 को सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेंस एवं दिनांक 20 अगस्त 2015 को सम्पन्न हुई संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालयों की बैठक का कार्यवाही विवरण।

–0–

उल्लेखित विषय में मण्डी बोर्ड मुख्यालय स्तर पर ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल के एवं इसके अंतर्गत स्वतः जनित रिपोर्टस के अवलोकन पर यह पाया गया है कि कतिपय मण्डी समिति के द्वारा एक ही मण्डी रसीद क्रमांक से अलग–अलग दिनांकों पर अलग–अलग मण्डी फीस जमा होने की जानकारी मॉडयूल में दर्ज हुई है। इसके साथ ही एक ही मण्डी रसीद क्रमांक दो अलग–अलग व्यापारियों के द्वारा जमा कराई गई मण्डी फीस के लिये दर्शित किया गया है तथा एक मण्डी रसीद के क्रमांक के विरुद्ध अनेकों अनुज्ञा पत्र जारी हुये हैं जबकि मण्डी रसीद से जमा कुल मण्डी फीस जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों से अर्जित होने वाली मण्डी से कहीं कम है।

उपरोक्त समस्त स्थितियॉं यह दर्शित करती हैं कि मण्डी समितियों में मण्डी रसीद से जमा मण्डी फीस हेतु लेजर का संधारण नहीं हो रहा है और न ही अनुज्ञा पत्र जारी करते समय मण्डी के कर्मचारी द्वारा यह पुष्टि की जा रही है कि अनुज्ञा पत्र में उल्लेखित कृषि जिन्स मूल्य हेतु आवश्यक मण्डी फीस मण्डी समिति में जमा भी है अथवा जमा नहीं है।

विषय संदर्भ में मण्डी समिति के सचिव एवं आपके द्वारा ध्यान न देने से मण्डी फीस अपवंचन की संभावना को प्रबल कर रही है। यह सम्पूर्ण जानकारी प्रथम संदर्भित पत्रों के संलग्न आपकी ओर प्रेषित की जाकर यह निर्देश दिये गये थे कि तत्काल अंचल की समस्त मण्डियों में मण्डीवार जांच करायें और दिनांक 31 अगस्त 2015 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

Sandeep
03.09.2015

विषय संदर्भ में किसी भी संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालयों के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने से स्पष्ट है कि प्रकरण को सजकता एवं गंभीरता से नहीं लिया गया है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को प्रथम प्राथमिकता प्रदान करते हुये तत्काल अंचल की समस्त मण्डियों में मण्डीवार जांच करायें और दिनांक 10 सितम्बर 2015 तक प्रतिवेदन अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें।

(ए0पी0एस0सीलंकी)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/अनुज्ञा–मॉडयूल/2014–15/927 भोपाल दिनांक 07 अगस्त 2015

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(02) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(03) उप संचालक (नियमन)/उप संचालक (वित्त/आडिट), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(04) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला .... (म0प्र0) :– विषय संदर्भ में दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल